Skill Development Programme
For Answer Writing
Current Affairs
Model Answer

DATE : 05-Aug-2018 **TIME : 01:15 pm**

मुख्य परीक्षा

प्र. हाल ही में भ्रष्टाचार निषेध संशोधन अधिनियम, 2018 पारित किया गया है जो भ्रष्टाचार को रोकने में बहुत प्रभावी होगा, परंतु इसमें अभी भी कुछ कमजोरियाँ रह गयी हैं, आप कहाँ तक सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। **(250 शब्द, 15 अंक)**

Recently Corruption Prevention Amendment Act, 2018 has been passed which will be very effective in preventing corruption but there are still some deficiencies present in it. To what extent you agree? Give logical answer. **(250 Words, 15 Marks)**

MODEL ANSWER

उत्तर- भूमिका- भारत सरकार व्याप्त भ्रष्टाचार से निपटने के लिए पूर्व के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 में संशोधन करते हुए और कारगर निरोधक अधिनियम, 1988 में संसोधन करते हुए और कारगर बनाने का प्रयास किया गया है। यह संशोधित विधेयक भ्रष्टाचार को रोकने में निश्चित रूप से सफल होगा। फिर भी इसमें कुछ कमजोरियाँ अभी भी विद्यमान हैं।

इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि रिश्वत देने वाला एवं लेने वाला दोनों के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है, जिससे अब भ्रष्टाचार की मानसिकता पर रोक लग सकेगी। साथ ही ईमानदार कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी प्रयास किया गया है, अर्थात केंद्र सरकार कर्मचारियों के विरूद्ध जाँच के लिए लोकपाल से तथा राज्य के कर्मचारियों के विरूद्ध जाँच के लिए लोकायुक्त से अनुमति की आवश्यकता है। जिसका प्रभाव होगा कि ईमानदार कर्मचारी की मानसिकता में परिवर्तन न हो। यद्यपि कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने पर यह संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। इस विधेयक में रिश्वत लेने के अपराधों के लिए अर्थात् भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारी की सम्पत्ति जब्त किए जाने का भी प्रावधान है, जिससे भ्रष्टाचारियों में डर उत्पन्न होगा। इसमें ट्रायल की समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है, जो कि चार साल है। इन प्रावधानों से निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।

परन्तु इस विधेयक में अभी भी कुछ कमियाँ विद्यमान हैं, जैसे- इसमें रिश्वत देने वाले को दण्ड का भागीदार बनाया गया, किन्तु मजबूरी में रिश्वत देना पड़ता है, तो यह बताने के लिए अधिकतम 15 दिन का ही समय दिया गया है। इस स्थिति में यदि कानून प्रर्वतन प्राधिकरण के अधिकारी रिपोर्ट नहीं लिखतें है, तो क्या होगा, अस्पष्ट है। इसके अतिरिक्त बेइमान अधिकारियों द्वारा कार्य करने के लिए घूस की माँग की जाती है, किन्तु घूस लेने के बाद भी कार्य नहीं करते हैं। इस विधेयक में सबसे अस्वीकार्य परिवर्तन जाँच शुरू करने के लिए पूर्व अनुमोदन का मानदण्ड है।

इस विधेयक में प्रावधान है कि यदि कोई कर्मचारी मौद्रिक भ्रष्टाचार करता है, तो ही भ्रष्टाचार माना जाएगा। सम्पत्ति संबंधी भ्रष्टाचार को इसमें शामिल नहीं करता है। साथ ही इसमें एक चिंता का विषय है कि किसी भी लोक सेवक के पास इनकम सोर्स से अधिक सम्पत्ति मिलती है, तो उसे अपराधी माना जएगा और जाँच की जाएगी।

यह विधेयक सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में 'आपराधिक कदाचार' की परिभाषा को सिर्फ दो विशिष्ट कारकों में सीमित करता है, प्रथम; अपने हितों के लिए दूसरे की सम्पत्ति का दुरूपयोग और दूसरा; नौकरी की अवधि में अवैध रूप से स्वयं को लाभ पहुँचाना।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार निष्ोध अधिनियम, 2018 में कुछ कमियों के होते हुए भी यह विधेयक भ्रष्टाचार को रोकने में बहुत कारगर सिद्ध होगा।

* * *